

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥


पटना-15, दिनांक- 03.03.2017

संख्या-12/प0-(मू0को0) 5008/2015-सा0प्र0- 2629 / बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ 4 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है:-

क्रम सं०	पदाधिकारी का नाम, कोटि क्रमांक एवं गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	पदस्थापन का पद एवं स्थान का नाम
1	2	3	4
1	श्री विपिन कुमार यादव, 1052/11, भागलपुर	पदस्थापन की प्रतीक्षा में ।	वरीय उप समाहर्ता, कटिहार ।
2	श्री अभिराम त्रिवेदी, 964/11, पटना	पदस्थापन की प्रतीक्षा में ।	वरीय उप समाहर्ता, पूर्णियाँ ।
3	श्री राजीव रंजन प्रकाश, 1130/11, गया	पदस्थापन की प्रतीक्षा में ।	वरीय उप समाहर्ता, भोजपुर ।
4	श्री अंजनी कुमार, 925/11, नालंदा ।	पदस्थापन की प्रतीक्षा में ।	विशेष कार्य पदाधिकारी, गृह (कारा) विभाग, बिहार, पटना ।

2. उपर्युक्त क्रमांक-1 से 3 में अंकित पदाधिकारियों को भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-20 के अन्तर्गत संबंधित जिला क्षेत्र के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियों प्रदत्त की जाती है। साथ ही उन्हें संबंधित जिला में दंड प्रक्रिया संहिता-1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-144 का प्रयोग करने हेतु भी शक्तियों प्रदत्त की जाती है।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(भीम प्रसाद)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापानक-12/प0-(मू0को0) 5008/2015-सा0प्र0- 2629 /पटना, दिनांक- 03.03.2017

प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/कारा महानिरीक्षक, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु/संबंधित पदाधिकारी/प्रशाखा-2, 8 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव